## **DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters) Monday 18th March, 2002/Falguna 27, 1923(Saka)

NO.190

**Telephone Facilities** 

THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment) Act, 2001(Delhi Act No.3 of 2002):

Hon'ble Members are informed that the THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (Salaries, Allowances, Pension etc.) (Amendment) Act, 2001(Delhi Act No.3 of 2002) has been notified and has become effective from 1st March, 2002

	The salient features of	the Amended Act are as follows:
1	Salary	Raised from Rs.2000/-pm to Rs.3000/-pm
2	Daily allowance	Raised from Rs. 225/- a day to Rs. 400/- a day
3	Constituency allowance	Raised from Rs. 2000/- pm to <b>Rs. 6000/- pm</b>
4	Secretarial Allowance	Raised from Rs. 5500/- pm to Rs. 7000/- pm
5	Travelling Allowance	Members are now entitled to air travel facilities as applicable to Group A officers of the highest grade of the Govt. of Delhi for official visits outside Delhi.

entitled Members are now reimbursement of 2000 local calls per month on one telephone.

Instead of the coupon book system the Travel Members are now entitled to actual reimbursement annually of Rs. 35,000/on travel within India for self and

members of the family.

SK SHARMA **SECRETARY** 

## दिल्ली विधान सभा

## समाचार भाग-॥

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार 18 मार्च,2002/फाल्गुन 27,1923 (शक)

संख्या :190

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2002 का दिल्ली का दिल्ली अधिनियम संख्या-3)

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) अधिनियम,2001 (2002 का अधिनियम संख्या-3) को अधिसूचित किया जा चुका है और यह 1 मार्च,2002 से प्रभावी हो गया है । संशोधित अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1.	वेतन	रु0:2000/- प्रति माह से रु0:3000/- प्रति माह
2.	दैनिक भत्ता	बढ़ाया गया । रु0:225/- प्रतिदिन से रु0:400/- प्रतिदिन
		बढ़ाया गया ।

3. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रु0:2000/- प्रति माह से रु0:6000/- प्रतिमाह

बढ़ाया गया । 4. सचिवालय भत्ता रु0:5500/- प्रति माह से रु0:7000/- प्रतिमाह

बढ़ाया गया । 5. यात्रा भत्ता माननीय सदस्य अब दिल्ली से बाहर यात्रा हेतु

दिल्ली सरकार के उच्चतम ग्रेड 'ए' के अधिकारियों पर लागू

हवाई यात्रा सुविधा के पात्र हैं।

6. टेलीफोन सुविधाएँ माननीय सदस्य अब एक टेलीफोन पर प्रतिमाह

रु0:2000/- स्थानीय कॉलों की प्रतिपूर्ति

(पुनर्भुगतान) के पात्र हैं।

7. यात्रा कूपन पुस्तिका व्यवस्था की बजाय माननीय सदस्य अब स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए भारत में यात्रा पर रु0:35000/- के वास्तविक प्रतिपूर्ति

(पुनर्भुगतान) के पात्र हैं।

एस.के.शर्मा सचिव